तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विमला परसोया पत्नि छगनलाल परसोया निवासी भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :– 15/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/39 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-3-24	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 20.12.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी। आवेदन में वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/सू0अ0/2024/679 दिनांक 12.03.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना तैयार कर कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 234 दिनांक 25.01.2024 प्रार्थी को नियमानुसार राजकोष में राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु नियमानुसार राजकोष में राशि जमा नहीं करायी है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट को सूचना की आवश्यकता नहीं है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने से उन्हें पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रथम अपील प्रकरणों में इस न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावें। 6. निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	